

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001  
देहरादून: दिनांक: 29 नवम्बर, 2014

### कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना सिगरेट की खुली बिक्री को प्रतिबन्धित करते हैं।

(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महिमा)  
उप सचिव।

संख्या: 1858(A) /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव।